मांग संख्या 01

मुख्य शीर्ष 2012

मद कमांक 1

महामहिम राज्यपाल महोदय के स्वैच्छिक अनुदान में वृद्धि के कारण विवेकाधीन अनुदान मद में रूपये 5.00 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राजभवन सचिवालय हेतु गणतंत्र दिवस, अन्य शपथ समारोह तथा लंबित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त रूपये 3.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2015

मद कमांक 3

राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के लिए 01 कार कय हेतु रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बजट की बचत से की जायेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2052

मद कमांक 1–19

नवगठित राज्य सूचना आयोग के लिए स्थापना (आवती एवं अनावर्ती) व्यय हेतु रूपये 36.20 लाख की आवश्यकता है । इस प्रयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से 10.00 लाख स्वीकृत हुआ । इसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 36,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

मद कमांक 1

क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभागीय स्थापना के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 2.83 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

पुलिस मुख्यालय की सामान्य शाखा के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-4

पुलिस अकादमी एवं राज्य के अन्य भागों में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 5.93 लाख एवं अन्य अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 6.30 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

पुलिस अकादमी एवं राज्य के अन्य भागों में स्थित पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 2.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

प्रदेश के जिलों में पदस्थ सीआईडी स्टाफ के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 42.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7-8

प्रदेश के विभिन्न जेलों में स्थित सशत्र बल की वाहनियों के अधिकारियों / कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 385.66 लाख एवं अन्य अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 63.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

सामान्य व्यय विशेष पुलिस के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 10-11

अन्य पुलिस बल के अधीन 18 वीं तथा 22 वीं वाहिनी सशत्र बल के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 105.00 लाख एवं अन्य अनुरक्षण कार्य के लिए रूपये 10.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 12

नक्सल क्षेत्र में पदस्थ पुलिस कर्मियों को देय राशन भत्ता में वृद्धि के फलस्वरूप राशि रूपये 74.17 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 74,17,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 13

सामान्य व्यय जिला स्थापना के अंतर्गत लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 14

राज्य शासन द्वारा नक्सली हमलों से निपटने हेतु बुलेट प्रुफ वाहन (जीप 10 नग एवं सफारी जीप 02 नग) कय करने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु राशि रूपये 400.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 15

रेल पुलिस-पूर्वी विभाग के अधिकारियों /कर्मचारियों के यात्रा-भत्ता दौरे आदि के लिए राशि रूपये 21.25 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2070

मद कमांक 16-18

होमगार्ड बल में वृद्धि के फलस्वरूप सैनिकों को देय मानवेतन, धोबी/नाई खर्च एवं राशन भत्ता में राशि रूपये 348.70 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,48,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 6216

मद कमांक 19

पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन द्वारा लिए गए बकाया ऋणों के भुगतान हेतु राशि रूपये 515.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 04
मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा नक्सलियों के विरूद्ध जनजागरण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने हेतु रूपये 500.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

भूतपूर्व सैनिकों/सैनिकों की विधवाओं को देय आर्थिक सहायता में वृद्धि के फलस्वरूप राशि रूपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

मद कमांक 1

जेल प्रशासन के आधुनिकीकरण के अंतर्गत राशि रूपये 747.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2052

मद कमांक 1

राज्य शासन व्दारा संचालनालय वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली से संबंधित व्यावसायिक सेवाओं हेतु एन.आई.पी.एफ.पी. को भुगतान करने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 7.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु रूपये 7,00,000 की अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता होगी ।

मुख्य शीर्ष 2054

मद कमांक 2-4

राज्य शासन व्दारा लेखा प्रशिक्षण शाखा में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्यरत कर्मचारियों के मजदूरी का भुगतान हेतु रूपये 0.05 लाख तथा फर्निचर एवं कार्यालय उपकरण तथा पुस्तके,पत्रिका हेतु प्रतीक प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन के लिए रूपये 5,200 का अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमाक 5-12

राज्य शासन द्वारा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित योजना निर्देशन एवं प्रशासन में अन्य बिजली एवं जल प्रभार तथा मंहगाई वेतन, अधिकारी एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण, अन्य प्रशिक्षण तथा विज्ञापन एवं प्रचार हेतु प्रतीक प्रावधान तथा बिजली एवं जल प्रभार में कमशः 1.55 लाख का निर्णय लिया गया है । मंहगाई वेतन का भुगतान विभागीय बचत से किया जावेगा । इसके अतिरिक्त परीक्षक मानदेय में रूपये 30 हजार तथा वाहन अनुरक्षण कार्य में रूपये 60 हजार तथा बदलाव योजनान्तर्गत वाहन के कय हेतु रूपये4.00 लाख का प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन की पूर्ति हेतु राशि रूपये 6,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 13-15

राज्य शासन द्वारा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित योजना संभागीय स्थापना में दैनिक वेतनभोगी तथा अनुरक्षण कार्य तथा नियमित कार्यभारित स्थापना हेतु कमशः 1.05 लाख 0.90 लाख तथा 1.19 लाख के अतिरिक्त राशि के व्यय की संभावना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 16-18

राज्य शासन द्वारा संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन के अंतर्गत संचालित योजना खजाना स्थापना से संबंधित लेखन सामग्री तथा अन्य आकस्मिक व्यय मद में अतिरिक्त राशि की पूर्ति हेतु कमशः 1.50 लाख एवं 1.00 लाख तथा दैनिक वेतनभोगियों के भुगतान हेतु 5.49 लाख के अतिरिक्त व्यय की पूर्ति का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 19-20

राज्य शासन द्वारा स्थानीय निधि संपरीक्षा के अंतर्गत सीधी भर्ती हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा से संबंधित मानदेय एवं परीक्षा व्यय हेतु कमशः रूपये 7.00 लाख तथा 18.00 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2070

मद कमांक 21

माह जून 2005 से राज्य शासन के नगद व्यवहारों पर केन्द्र शासन द्वारा लागू 0.1 प्रतिशत बैंकिंग कैश ट्रान्जेक्शन टेक्स के भुगतान हेतु रूपये 50.00 लाख का व्यय अनुमानित है । यह एक नवीन व्यय का मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष–2885

मद कमांक 22

राज्य शासन द्वारा अधोसरंचना विकास निगम को रूपये 40.00 लाख के स्थापना अनुदान दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2030

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा न्यायिकेत्तर स्टाम्पों की बिक्री से संबंधित कमीशन के भुगतान हेतु इस वर्ष रूपये 200.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार भारत सरकार द्वारा प्रदेश के 98 तहसीलों में भू-अभिलेख कम्प्यूटरीकरण योजना के क्रियान्वयन हेतु राशि रूपये 187.60 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,87,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण क्रमांक 23,24,25,26/2004 एवं 22/2004 विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन में माननीय न्यायालय चतुर्थ अपर मोटर दुर्घटना दावाधिकरण एफ.टी.सी. कांकेर के अधिनिर्णय दिनांक 06-07-2005 में पारित आवार्ड की राशि रूपये 11.52 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,52,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

मद कमांक 3

राज्य शासन के निर्णयानुसार जिला कार्यालय के चार वाहनों को निष्प्रयोजित घोषित कर नीलाम से प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा करने के फलस्वरूप अपर कलेक्टर बलौदा बाजार, गरियाबंद तथा अनु.अधिकारी भाटापारा एवं मुख्यालय रायपुर के लिए चार वाहनों के क्रय हेतु राशि रूपये 16.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 16,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक 1

न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा पारित अवार्ड के पालन हेतु रूपये 375.90 लाख की आवश्यकता है । यह भारित मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,75,90,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2-3

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख नदियों के तट पर वृक्षारोपण योजना पर रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार 12.40 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहकों को चरणपादुका प्रदाय किया जाना है । जिस पर इस वर्ष 134.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,34,50,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति पर इस वर्ष रूपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 11

मुख्य शीर्ष 2851

मद कमांक 1-2

छत्तीसगढ़ राज्य में समस्त जिला उद्योग केन्द्रों द्वारा संचालित प्राधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 8.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2852

मद कमांक 3

राज्य शासन के निर्णयानुसार उद्योग संचालनालय कार्यालय भवन के किराया भुगतान हेतु राशि रूपये 4.44 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,44,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन के निर्णयानुसार वर्ल्ड इकानॉमिक फोरम जिनेवा में संस्थागत सदस्य शुल्क प्रदान के लिये राशि रूपये 12.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

भारत सरकार द्वारा छत्तीगढ़ राज्य स्टेट वाईड एरिया कार्यकम अन्तर्गत नेशनल ई-गवर्नेस एक्शन प्लान के कियान्वयन के लिये राशि रूपये 946.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 9,46,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 12

मुख्य शीर्ष 2045

मद कमांक 1

मुख्य विद्युत निरीक्षकालय के अधीनस्थ रायपुर एवं बिलासपुर उप संभागों के लिए दो वाहन कय हेतु रूपये 8.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2 एवं 4

योजना आयोग नई दिल्ली द्वारा रूपये 10.00 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता स्वीकृत की गई है । जिसके व्यय हेतु इस वर्ष रूपये 1000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण हेतु एक डीजल जीप कय करने के लिए रूपये 3.67 लाख का व्यय संभावित है । यह विभागीय बचत से की जायेगी ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

अटल ज्योति योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि पम्प एवं घरेलू कनेक्शनों हेतु पृथक-पृथक फीडर स्थापित करने पर इस वर्ष रूपये 2500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 13
मुख्य शीर्ष 2401

मद कमांक 1-2

भारत सरकार से सहायता प्राप्त योजनान्तर्गत राज्य में शासकीय कृषि प्रक्षेत्रों का सुदृढ़ीकरण योजना के क्रियान्वयन राशि रूपये 400.00 लाख (भवन निर्माण रूपये 255.00 लाख एवं मशीन उपकरण रूपये 145.00 लाख) व्यय की संभावना है ।

इस हेतु राशि 150.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया है । इसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-4

भारत सरकार से सहायता प्राप्त योजनान्तर्गत राज्य में जैव नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना हेतु राशि रूपये 70.00 लाख (भवन निर्माण 45.00 लाख एवं अन्य व्यय हेतु 25.00 लाख) का व्यय संभावित है ।

इस हेतु 45.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया है, इसकी प्रतिपूर्ति की जा रही है ।

अतः इस पूर्ति हेतु रूपये 70,00,000 का अनुपूरक अनुदान की अवश्यकता है ।

मद कमांक 5

राज्य शासन के निर्णयानुसार राज्य स्तरीय प्रशिक्षण अकादमी के भवन निर्माण हेतु राशि रूपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के गन्ना कृषकों को बोनस भुगतान हेतु राशि रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7

राज्य शासन के निर्णयानुसार कृषि एवं बीज निगम के स्थापना व्यय हेतु राशि 200.00 लाख व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 14

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार न्यायालयीन प्रकरण के दावा भुगतान हेतु राशि रूपये 2.11 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश 07 शासकीय कुक्कट प्रक्षेत्रों जगदलपुर, कोंडागांव, बैकुण्ठ (कोरिया) रायगढ़, दुर्ग सकालों बिलासपुर में पक्षी लक्ष्य की वृद्धि हेतु आवर्ती मद में राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश में पशु शिविरों का आयोजन हेतु मेला, उत्सव प्रदर्शनी आदि पर राशि 10.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 16
मुख्य शाीर्ष 2405

मद कमांक 1-2

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार मत्स्यपालन प्रक्षेत्र के लिए डाटाबेस एवं इन्फारमेशन नेटवर्किग का सुदृढ़ीकरण हेतु वेतन में रूपये 1.00 लाख एवं सूचना प्रौद्योगिकी में रूपये 2.28 लाख कुल राशि रूपये 3.28 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 1

एस.बी.टी.सी. के प्रबंधन हेतु रूपये 5.00 लाख का व्यय संभावित है । अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

भारत शासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 10 बिस्तर युक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन कक्ष,स्टाफ कक्ष के लिये रूपये 10.00 लाख उपलब्ध कराया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-8

ग्राम-इन्दौरी जिला-कबीरधाम में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु पदों के निर्माण बाबत् रूपये 15.03 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

कमांक	पदनाम	वेतनमान	पदसंख्या
1.	सहायक शल्य चिकित्सक	8000-13500	1
2.	लेडी हेल्थ विजिटर	4500-7000	1
3.	कम्पाउण्डर	3050-4590	1
4.	ए.एन.एम./एन.एम.ए.	3050-4590	1
5.	ड्रेसर	3050-4590	1
6.	वार्डब्वाय	2550-3200	1
7.	स्वीपर	2550-3200	1

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,03.000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9-12

ग्राम-अमलीडीह जिला-राजनांदगांव में उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने हेतु रूपये 2.07 का व्यय संभावित है

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता हे ।

मद कमांक 13-28

नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के अंतर्गत यात्रा भत्ता दौरे आदि के रूपये 0.016 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन के लिये रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2211

मद कमांक 29-32

परिवार कल्याण कार्यक्रम अंतर्गत नसबन्दी कार्य हेतु भारत शासन द्वारा रूपये 250.00 लाख तथा राज्य शासन द्वारा रूपये 50.28 लाख कुल रूपये 300.28 लाख उपलब्ध कराया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,00,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 22

मुख्य शीर्ष 2217

मद कमांक 1

संचालनालय, नगरीय प्रशसन एवं विकास के लिये 2 वाहन कय करने हेतु रू 6.50 लाख का व्यय संभावित है । यह नवीन व्यय का मद है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 6,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 23

मुख्य शीर्ष 2700

मद कमांक 1-3 तथा 5 से 18

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन व्दारा महानदी परियोजना समूह में रेडियल गेट के अनुरक्षण तथा अन्य नहर एवं वितरक नहर के अनुरक्षण कार्य पर रूपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन के लिए रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2701

मद कमांक 19 से 72

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद कमांक 73 से 105 तथा 107-111

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 106

राज्य में जोंक परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है । परियोजना से संबंधित शेष दायित्वों के भुगतान हेतु रूपये 40.00 लाख की आवश्यकता है, जो विभागीय बचत से की जा रही है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 112 तथा 114 से 122

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 113

अपर जोंक परियोजना एक अन्तर्राज्यीय योजना है जिसमें शीर्ष का निर्माण उडीसा राज्य में हुआ है, तथा उसका जल सिंचाई हेतु छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता है । राज्यों के मध्य हुए समझौते के अनुसार समानुपातिक लागत में से शेष 5.00 करोड़ का भुगतान उड़ीसा राज्य को किया जाना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 5,00,00,000 के प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 123 से 133

जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते शीर्ष के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष खोले जाना है इस हेतु रूपये100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

मद कमांक 1

राज्य शासन व्दारा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गो के अनुरक्षण हेतु केन्द्र शासन से पर्याप्त राशि न मिलने के कारण राज्य के स्वयं के संसाधन से रूपये 250.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान अनुरक्षण हेतु करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 25

मुख्य शीर्ष 2853

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णय अनुसार जिला कार्यालय सरगुजा, कोरिया एवं अन्य जिलों में वे-ब्रिज निर्माण हेतु रूपयें 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद कमांक 2

राज्य शासन द्वारा तारा कोयला परियोजना के विकास हेतु छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड को खनिज निधि से रूपये 1000.00 लाख उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु रूपये 400.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया है।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 26
मुख्य शीर्ष 2205

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा राज्य में आयोजित होने वाले विभिन्न उत्सवों के आयोजन हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 30.00 लाख के व्यय का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2-3

कर्न्जेवेशन सेल के अंतर्गत स्मारकों के अनुरक्षण तथा कार्यरत कर्मचारियों के चिकित्सा व्यय हेतु कमश: रूपये 10.00 लाख तथा रूपये 1.79 लाख का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 11,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल सिरपुर में उत्खनन एवं सर्वेक्षण कार्य हेतु रूपये 15.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

राज्य में आयोजित होने वाले समारोहों के आयोजन में रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 27
मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 825.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

छात्राओं को गणवेश प्रदाय हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 1014.96 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,14,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4-7

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में केन्द्रीय सहायता से सेवाकालीन प्रशिक्षण/कियात्मक अनुसंधान, संकायो का क्षमता विकास के लिए प्रशिक्षण एवं फर्नीचर उपकरण कय हेतु रूपये 9.40 लाख का व्यय संभावित है । यह केन्द्र प्रवर्तित योजना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

भारत शासन द्वारा कक्षा 9वीं, कक्षा 11वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर प्रणीण्य छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राशि रूपये 19.56 लाख स्वीकृत किया गया है । यह योजना केन्द्र क्षेत्रीय योजना है । अतिरिक्त राशि रूपये 1.31 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9-13

पूर्व माध्यमिक शाला मानिकचौरी जिला रायपुर को हाई स्कूल में उन्नयन करने तथा ग्राम सुहेला (सिमगा) जिला रायपुर में हाई स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिये रूपये 8.13 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी । पदो का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	
			मानिकचौरी	**सुहेला**
1.	प्राचार्य	6500-10500	01	01
2.	लेखापाल/सहायक ग्रेड-2	4000-6000	01	01
3.	सहायक ग्रेड-3	3050-4590	01	01
4.	भृत्य	कलेक्टर दर	02	02
		योग-	**05**	**05**

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 14

मदरसा बोर्ड को अनुदान हेतु रूपये 7.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2204

मद कमांक 15

माना एयर पोर्ट के हेंगर में रखे राष्टीय छात्र सेना के ग्लाईडर के लिए हेंगर के किराये की भुगतान हेतु रूपये 18.13 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 18,13,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 28

मुख्य शीर्ष 2011

मद कमांक 1

विधान सभा से मान.अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय के वेतन भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त राशि रूपये 4.00 लाख की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

विधान सभा के मान. उपाध्यक्ष महोदय के दौर आदि के लिये अतिरिक्त राशि रूपये 2.25 लाख की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

मान. उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्वेच्छानुदान की राशि में वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप रूपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

माननीय उपाध्यक्ष विधान सभा हेतु एक नवीन वाहन कय हेतु रूपये 6.69 लाख का आकस्मिकता निधि अग्रिम की स्वीकृति दी गई थी जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 6,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 29
मुख्य शीर्ष 2014

मद कमांक 1-2

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर व्दारा अन्य भत्तों एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के व्यय संबंधी शीर्ष न होने से रूपये 100 प्रतीक प्रावधान प्रस्तावित किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 100-100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर व्दारा नियमित कार्यभारित तथा आकस्मिकता स्थापना व्यय हेतु रूपये 7.70 लाख के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

माननीय उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एवं भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री हिदायतुल्ला के राष्ट्रीय विधि विश्व विद्यालय रायपुर में आयोजित शताब्दी समारोह हेतु रूपये 10.00 लाख की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 30
मुख्य शीर्ष 2515

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा श्रम न्यायालय से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण में डिकी धन के भुगतान हेतु रूपये 23.523 लाख के प्रावधान का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 23,52,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन व्दारा छत्तीसगढ़ विकास संस्थान के लिये वाहन कय करने का निर्णय लिया गया है, वाहन कय बजट में उपलब्ध राशि से किया जावेगा । इस पर इस वर्ष रूपये 4.00 लाख का व्यय संभावित है । यह नवीन व्यय का मद है ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अनुपूरक अनुदान किया जा रहा है ।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3454

मद कमांक 1-2

राज्य शासन व्दारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय एवं मैदानी कार्यालयों के लिये कम्प्यूटर मय उपकरण, फर्नीचर इत्यादि कय का निर्णय लिया है जिस पर इस वर्ष रूपये 8.53 लाख का व्यय बजट में उपलब्ध राशि से किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन के लिय रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान अनुपूरक अनुदान किया जा रहा है ।

मांग संख्या 32

मद कमांक 1–11

विभागों के विज्ञापन व्यय हेतु निम्नानुसार व्यय संभावित है:–

क.	विभाग का नाम	मुख्य शीर्ष	राशि(लाख में)
1.	राज्य उत्पादन शुल्क	2039	30.00
2.	सचिवालय सामान्य सेवाऐं	2052	5.00
3.	पुलिस	2055	10.00
4.	तकनीकी शिक्षा	2203	5.00
5.	चिकित्सा और लोक स्वा.	2210	10.00
6.	जलपूर्ति और सफाई	2215	40.00
7.	सचिवालय सामाजिक सेवाऐं	2251	4.00
8.	अन्य ग्रामीण विकास कार्य.	2515	30.00
9.	वृहद और मध्यम सिंचाई	2701	100.00
10.	ग्रामोद्योग और लघु उद्योग	2851	16.00
11.	सड़के और पुल	3054	150.00
		योग–	**400.00 लाख**

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 1

छ.ग. अनु.जाति/जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव हेतु 2 नये वाहनों के कय की स्वीकृति दी गई है । इस हेतु रूपये 8.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अत: इस प्रयोजन के लिये रूपये 8,00,,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1–2

राज्य शासन द्वारा दानवीर भामाशाह सम्मान नामक पुरस्कार दिये जाने हेतु रूपये 1.50 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया है । इस हेतु रूपये 1.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 37

मुख्य शीर्ष 5452

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा केन्द्र शासन से रूपये 100.00 लाख प्राप्ति के अनुमान के परिप्रेक्ष्य में केन्द्र प्रवर्तित योजना में अतिरिक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 39
मुख्य शीर्ष 2408

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश के 16 जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए बी.पी.एल. राशन कार्ड, आवेदन फार्म एवं पंजीयों को छपाई हेतु राशि रूपये 57.31 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 57,31,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार उचित मुल्य दुकानों में केरोसीन भंडारण हेतु टंकिया उपलब्ध कराने हेतु एवं भावान्तर राशि से कय किये गये ड्रम/टैंक की लंबित राशि के भुगतान हेतु राशि रूपये 49.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 49,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

राज्य शासन द्वारा तीन आश्रम शालाओं-कन्या आश्रम शाला ग्राम कुदारी, बालक आश्रम शाला कुंदीकला विकास खण्ड लुन्ड्रा एवं कन्या आश्रम शाला ग्राम दुर्गापुर वि.ख. शंकरगढ़ जिला सरगुजा में खोलने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु रूपये 200 का प्रतीक आकस्मिकता निधि अग्रिम स्वीकृत किया गया था, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-4

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 1240.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5-6

राज्य शासन व्दारा ग्राम उरबा वि.ख. तमनार जिला रायगढ़ में संचालित 25 सीटर प्री-मेट्रीक आदिवासी बालक छात्रावास को ग्राम सरायपाली वि.ख. तमनार जिला रायगढ़ में स्थानान्तरित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस हेतु रूपये 300 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7-8

राज्य शासन द्वारा 28 शास. हाईस्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन का निर्णय लिया गया है । इस पर लगभग रूपये 156.44 लाख का व्यय भार सभावित है । यह व्यय विभागीय बचत राशि से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 9-14

सिविल अस्पताल वाड्रफनगर जिला-सरगुजा का 100 विस्तर अस्पताल में उन्नयन हेतु 180.40 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,80,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 15

भारत शासन द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्मित 10 बिस्तर युक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन कक्ष, स्टाफ कक्ष के लये रूपये 5.00 लाख उपलब्ध कराया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 16-17

भारत सरकार द्वारा 8 एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में आयुर्वेद विंग, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लीनिक सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,10,967 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 18-20

फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण आदि के लिये रूपये 300 का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 21

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु बजट में प्रावधान कम होने से अतिरिक्त राशि रूपये 699.78 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 6,99,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 22

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु बजट में प्रावधान कम होने से अतिरिक्त राशि रूपये 122.42 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,22,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2401

मद कमांक 23

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश में सघन फलोद्यान विकास योजना अन्तर्गत लंबित मजदूरी भुगतान हेतु राशि रूपये 80.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 24

राज्य शासन के निर्णयानुसार प्रदेश में असील नस्ल की मुर्गियों के संरक्षण हेतु राशि रूपये 15.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद कमांक 25

केन्द्र शासन की सहायता से वनक्षेत्रों में स्थित ग्रामों का विकास किया जाना है । जिस हेतु रूपये 56.00 करोड़ की कार्ययोजना है । इस वर्ष इस योजना पर रूपये 2802.50 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 28,02,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद कमांक 26

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनु. 275(1) के अंतर्गत आदीवासी क्षेत्रों में लघु सिंचाई सुविधाओं के विस्तार हेतु रूपये 729.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं, इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है,।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,29,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 27

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना अंतर्गत माडा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम हेतु स्वीकृति दी गई है । इस हेतु बजट में प्रावधान कम होने से अतिरिक्त राशि रूपये 58.18 लाख की आवश्यकता है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 58,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 28

राज्य शासन व्दारा लिये गये निर्णय के अनुसार नई दिल्ली में ट्र्व्हल यूथ होस्टल निर्माण करने का निर्णय लिया गया है जिस पर रूपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है ।
यह व्यय विभागीय बचत किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 29

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अनु. 275(1) के अंतर्गत आदीवासी क्षेत्रों में सुविधाओं के विस्तार (हास्टल/आश्रम शाला भवन निर्माण) हेतु रूपये 2297.90 लाख स्वीकृत किये गये हैं,इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है,।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 22,97,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4700

मद कमांक 30 से 32

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बचत में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 33 से 40

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बचत में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4702

मद कमांक 41

राज्य शासन व्दारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में राज्य में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि हेतु निम्नलिखित लघु सिंचाई योजनाओं को अपरीक्षित नवीन मद के रूप में व्दितीय अनुपूरक में शामिल कर निर्माण किया जाना है ।

1. मुरधोवा डायवर्सन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
2. बीहिडीह डायसर्वन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
3. साल्क इरीगेशन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।
4. कोडांगी डायवर्सन योजना (अनु.लागत रूपये 80.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1.00 लाख का व्यय संभावित है ।

उक्त व्यय विभागीय बचत किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन के लिए रूपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 42
मुख्य शीर्ष 5054

मद कमांक 1

राज्य शासन व्दारा निम्नलिखित पुल निर्माण कार्यो को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल करते हुए निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

1. बीजापुर गंगालूर मार्ग पर पदेड़ा नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 110.00 लाख) इस वर्ष रूपये 50,00,000 व्यय संभावित है ।
2. भैरमगढ़ के पास इंद्रावती नदी पर बृहद पुल का निर्माण (अनु.लागत रूपये 440.00 लाख) इस वर्ष रूपये 50,00,000 का व्यय संभावित है । उक्त व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा, यह एक नवीन व्यय का मद है ।

अत: 100 रूपये के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन व्दारा अनुच्छेद 275-1 के अन्तर्गत केन्द्र शासन की सहायता से निम्नलिखित सड़कों एवं पुलों का निर्माण किया जा रहा है ।

1. बोलडला तरेगांव दलदली मार्ग लंबाई 56.00 कि.मी. का निर्माण । (अनु.लागत रूपये 356.00 लाख)
2. भुमका बेलरगांव कसपुर सीतानदी पर सड़क एवं पुल-पुलियों का निर्माण लंबाई 17.60 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 157.42 लाख)
3. डिन्डो विमालपुर नवाडीह मार्ग में कि.मी. 3 से 19/6 तक 16.0 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 142.00 लाख)
4. चिनिया रामचन्द्र सनावल मार्ग के कि.मी. 11/2 बलंगी नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 17.50 लाख)
5. डिन्डो विमलापुर नवाडीह मार्ग के कि.मी.ह 9/10 पर कुरसा नाला पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 21.00 लाख)
6. चिनाया रामचन्द्रपुर सनावल मार्ग के कि.मी. 15/4 बरवाही नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 17.50 लाख)
7. चिनाया रामचन्द्रपुर सनावल मार्ग के कि.मी. 16/2 विवादा नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 15.00 लाख)
8. जनकपुर बडवाही बलंगी मार्ग पर कि.मी. 10/8 एरिया नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 100.00 लाख)
9. वाड्रफनगर जनकपुर बलंगी मार्ग पर कि.मी. 45/10 चिखुरा (अनु.लागत रूपये 17.50 लाख)
10. डिन्डो समावल मार्ग के कि.मी. 3/6 पर कटरानाला पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 18.00 लाख)
11. डिन्डो सनावल मार्ग के कि.मी. 5/10 पर पावननाला पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 60.00 लाख)
12. जनकपुर बड़वाही सीधी मार्ग के कि.मी. 1/2 बनास नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 194.77 लाख)
13. बदरचुवा टोकड़ा पंडरापानी मार्ग के कि.मी. 4/8 पर मैनी नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 278.00 लाख)
14. जशपुर सन्ना चम्पा कुसमी मार्ग के कि.मी. 21/6 पर कल्हर नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 91.50 लाख)
15. चाराम-हर्राडुला मार्ग में महानदी में पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 354.52 लाख)
16. अकातकन्हा-बहरीटोला मार्ग के कि.मी. 1 से 15/8 का निर्माण (अनु.लागत रूपये 108.00 लाख)

17. चौकी डोंगाघाट बगनारा रोड 6 कि.मी. का निर्माण (अनु.लागत रूपये 40.50 लाख)
18. कंगामटोला नेतामटोला मार्ग 7 कि.मी. का निर्माण (अनु.लागत रूपये 42.00 लाख)
19. चौकी चिल्हाटी कोरचा टोला सड़क कि.मी. 11 से 23/2 का निर्माण (अनु.लागत रूपये 94.00 लाख)
20. कौढ़ीकसा अरज कुडपाटन सड़क का निर्माण विकासखण्ड चौकी दूरी 1 से 14 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 123.20 लाख)
21. चिरई दांध बगीचा मार्ग के बंगीरा नाला में 18/4 पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 65.00 लाख)
22. बंदरचुआ बैबा चतवा मार्ग पर पेंडा नाला पर 2/2 कि.मी. पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 77.00 लाख)
23. गोड़ही नाला परन पुल निर्माण धरमजयगढ़ ब्लाक में जिला रायगढ़ (अनु.लागत रूपये 32.00 लाख)
24. मड़वा पथरा मालगांव हर्राथेमा मार्ग पर 8 नग हयूम पाईप पुलिया निर्माण (अनु.लागत रूपये 26.10 लाख)
25. गरूर मारिआ मार्ग के कि.मी. 1/2 पर मध्यम पुल निर्माण मंटिया पुल के पास (अनु.लागत रूपये 37.26 लाख)
26. चूलहापथरा रूपुटोला मार्ग प्रथम श्रेणी मार्ग के कि.मी. 1 से 5 का निर्माण (अनु.लागत रूपये 53.79 लाख)
27. सिहावा सिरसिरदा मलहारी मार्ग 5 कि.मी. का निर्माण (अनु.लागत रूपये 82.26 लाख)
28. लैलूंगा कोतबा लवाकेरा मार्ग के कि.मी. 43/4 ईब नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 447.00 लाख)
29. कुकरेल से बिरझुली मार्ग पर छलकनी नाला पर पुलिया (अनु.लागत रूपये 35.00 लाख)
30. इन्द्रावती नदी पर चित्रकोट टमरागांव मार्ग पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 250.00 लाख)
31. धारिसे भैसगांव मार्ग पर नारंगी नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 250.00 लाख)
32. बाकल कुंगारपाल मार्ग पर नारंगी नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 67.00 लाख)
33. महीपाल मार्ग पर भंवरडीग नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 20.00 लाख)
34. मंझियाडीह हाथीबेड तलाइन मार्ग पर खारुन नदी में पुल निर्माण जि. जशपुर (अनु.लागत रूपये 100.00 लाख)
35. बाना मार्ग पर मैनी नदी पर पुल निर्माण जि. जशपुर (अनु.लागत रूपये 100.00 लाख)
36. दमनाकदार कोतमा मार्ग पर काकियानाला में पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 60.00 लाख)
37. दहिकोंगा पुसावंड मार्ग पर नारंगी नदी पर पुल निर्माण (अनु.लागत रूपये 20.00 लाख)
38. चिलहाटीपाटन रोड चोकी ब्लाक 12 कि.मी. का सड़क निर्माण (अनु.लागत रूपये 50.00 लाख)
39. ग्राम पंचायत कुकसदा से बदना 6 कि.मी. का सड़क निर्माण (अनु.लागत रूपये 35.00 लाख)
40. ग्ग्रम पंचायत कुकदरा से देवसर 10 कि.मी. का सड़क निर्माण (अनु.लागत रूपये 40.00 लाख)
41. महसा से बामदाह से लगरार 15 कि.मी. का सड़क निर्माण (अनु.लागत रूपये 60.00 लाख)

उपरोक्त कार्यो को पूर्ण करने के लिये इस वर्ष रूपये 950.00 लाख की आवश्यकता है ।
अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन व्दारा निम्नलिखित सड़कों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपरीक्षित नवीन मद के रूप में शामिल करते हुए निर्माण करने का निर्णय लिया गया है ।

1. पंडेमुर्गा कोडोलीमिरतुर बेचापाल मार्ग लंबाई 52.40 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 1374.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1,00,00,000 का व्यय संभावित है ।

2. बोड़ली पिनकोंड़ा चेरपाल मार्ग लंबाई 40.00 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 1093.00 लाख) पर इस वर्ष रूपये 1,00,00,000 व्यय संभावित है ।

3. धनोरा तोयनारा फरसेगढ़ मार्ग लंबाई 34.00 कि.मी. (अनु.लागत रूपये 687.00 लाख) इस वर्ष रूपये 1,00,00,000 का व्यय संभावित है । उक्त व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा ।
अतः रूपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 43

मुख्य शीर्ष 2204

मद कमांक 1

राज्य युवा आयोग के लिए वाहन क्रय हेतु राशि रूपये 6.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 1

राज्य युवा आयोग के वेतन-भत्ते एवं कार्यालयीन व्यय के लिए राशि रूपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 44

मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-7

उच्च शिक्षा संचालनालय के कार्यालय व्यय हेतु रूपये 17.85 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 17,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

राष्ट्रीय सेवा योजना के सात जिला संगठक कार्यालयों के लिए कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं यू.पी.एस. कय हेतु रूपये 3.50 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु रूपये 800.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 10

गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को चिकित्सा महाविद्यालय (सिम्स) के लिए अनुदान हेतु रूपये 2000.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 11-14

शासकीय महाविद्यालयों में ई-क्लासरूम की स्थापना हेतु रूपये 50.00 लाख, शासकीय महाविद्यालयों में फेंसिंग एवं वृक्षारोपण हेतु रूपये 25.00 लाख तथा शासकीय महाविद्यालय छूरिया की भूमि हेतु प्रब्याजी/भू-भाटक राशि राजस्व विभाग को देने हेतु रूपये 2.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 77,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 2702

मद कमांक 1 से 6

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अत: सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बचत में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अत: नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 47

मुख्य शीर्ष 2203

मद कमांक 1-5

इंजीनियरिंग एवं पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के उन्नयन हेतु में निम्नानुसार व्यय संभावित है :-

क.	विवरण	राशि (लाख)
1.	एडसिल से परामर्श हेतु	21.16
2.	सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में रोजगार मूलक प्रशिक्षण हेतु	48.82
3.	पॉलीटेकनिक दुर्ग में फर्नीचर कय हेतु	17.03
4.	इंजीनियरिंग महावि.रायपुर के स्वर्णजयंती समारोह पर व्यय	100.00
5.	शास.इंजी.महावि.बिलासपुर हेतु फर्नीचर कय	40.00
	योग-	**227.01**

अतः उपरोक्तानुसार प्रयोजन हेतु रूपये 2,27,01,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2230

मद कमांक 6-10

राज्य के तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु वेतन भत्ते एवं अन्य मद में रूपये 33.00 लाख का व्यय संभावित है । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1.	प्रशिक्षण अधीक्षक	5500-9000	06
2.	प्रशिक्षण अधिकारी वर्ग-3	4500-7000	21
3.	डाटा-एन्ट्री-आपरेटर	3500-5200	03
4.	कर्मशाला सहायक	2610-3540	03
5.	चतुर्थ श्रेणी	2550-3200	06
		योग-	**39 पद**

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 33,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 11-12

राज्य की तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु आकस्मिकता निधि अग्रिम से प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 50.00 लाख को सम्मिलित करते हुए मशीन उपकरण कय के लिए रूपये 57.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 57,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद कमांक 13-14

राज्य के तीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने हेतु भवन निर्माण के लिए रूपये 30.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 15

(1) इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के लिए मशीन उपकरण कय हेतु रूपये 386.00लाख का व्यय संभावित है ।

(2) शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय रायपुर में व्ही.ओ.आय.पी. एनालिसिस एवं रिसर्च प्रयोगशाला की स्थापना हेतु रूपये 163.05 का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अत इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,86,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 55
मुख्य शीर्ष 2235

मद कमांक 1-2

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजना अंतर्गत) मजदूरी एवं अन्य आकस्मिक व्ययों हेतु राशि रूपये 125.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता योजना अंतर्गत) अधिकारियों / कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु रूपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4-5

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत मजदूरी एवं कार्यालय व्यय हेतु राशि रूपये 155.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,55,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत अधिकारियों /कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 115.00 लाख का व्यय संभावित है । रूपये 100 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7-8

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत मेडिसिन किट, प्रीस्कूल किट व अन्य उपकरण हेतु राशि रूपये 130.00 लाख का व्यय संभावित है । इस हेतु रूपये 200 का प्रतीक आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी ।

अत: अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9-19

राज्य महिला आयोग के वेतन-भत्ते, मजदूरी एवं कार्यालय व्यय के अंतर्गत राशि रूपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

मद कमांक 1-3

राज्य शासन के निर्णयानुसार छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के स्थापना हेतु राशि रूपये 7.50 लाख (स्थापना व्यय राशि रूपये 1.50 लाख अन्य व्यय 2.00 लाख एवं एक वाहन कय हेतु रूपये 4.00 लाख) का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 7,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 57
मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 1 से 16

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 64
मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 510.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3-6

राज्य शासन द्वारा ग्राम छपोरा, जिला जांजगीर में 50 सीटर प्री-मैट्रिक अनु.जाति बालक छात्रावास खोलने का निर्णय लिया गया है । इस पर रूपये 4.51 लाख का व्यय संभावित है यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा । पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क.	पदनाम	वेतनमान	पदसंख्या
1.	अधीक्षक	4000-6000	1
2.	रसोईया/पानीवाला	कलेक्टर दर पर	2
3.	चौकीदार	कलेक्टर दर पर	1

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 100-100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

राज्य शासन द्वारा पूर्व माध्यमिक शाला खैरवार जिला सरगुजा को पूर्व माध्यमिक शाला मुरकौल, 50 सीटर प्री-मैट्रिक अ.जा. कन्या छात्रावास जिला जांजगीर को बलौदा जिला जांजगीर एवं 50 सीटर प्री-मेट्रिक अ.जा. बालक छात्रावास रतनपाल जिला बस्तर को नूतन पाल जिला बस्तर में स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100-100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 7

भारत शासन द्वारा स्वास्थ्य केन्द्रों में निर्मित 10 विस्तर युक्त नेत्र वार्ड एवं आपरेशन कक्ष, स्टाफ कक्ष के लिये रूपये 5.00 लाख उपलब्ध कराया गया है

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

भारत सरकार द्वारा 8 एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लीनिक एवं 19 एलोपैथिक चिकित्सालयों के स्पेशलाइज्ड थैरोपी सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,37,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 9-11

सीपत जिला-बिलासपुर के अंतर्गत मटियारी में उप स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना हेतु रूपये 4.04 लाख का व्यय संभावित है

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 4,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2403

मद कमांक 12

राज्य शासन के निर्णयानुसार कार्यभारित/आकस्मिक निधि के कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रूपये 17.25 लाख का व्यय संभावित है । व्यय विभागीय बजट से पुर्नविनियोजन कर किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4225

मद कमांक 13–14

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना क्षेत्रों में छात्रावास एवं आश्रम भवनों के निर्माण (नवीन एवं अपूर्ण) कार्यो हेतु रूपये 200.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं । इस हेतु बजट में प्रावधान नहीं है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद कमांक 15

विशेष घटक परियोजना अंतर्गत कार्यालय संसाधन भवनों के निर्माण हेतु राशि रूपये 120.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

मद कमांक 1-3

विमानन संचालनालय अंतर्गत वेतन भत्तों हेतु रूपये 46.16 लाख, पेट्रोल-तेल आदि हेतु रूपये 32.00 लाख एवं वायुयान के कलपुर्जे हेतु रूपये 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,78,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन द्वारा शासकीय हेलीकाप्टर हेतु एक अतिरिक्त इंजिन कय हेतु राशि रूपये 40.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है ।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 66
मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 1-4

राज्य शासन द्वारा अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, रायपुर में खोलने का निर्णय लिया गया है । इस हेतु 21 पदों की सहमति दी गई है, जिस पर रूपये 24.75 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 24,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को देय वेतन, भत्तें एवं कार्यालयीन कार्यों हेतु रूपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है

मद कमांक 6

वक्फ न्यायाधिकरण हेतु एक नग वाहन क्रय (रूपये 4.00लाख) की स्वीकृति दी गई है ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7

वक्फ बोर्ड के संचालन हेतु रूपये 5.00 लाख के स्थापना अनुदान की स्वीकृति दी गई है ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 4059

मद कमांक 1

राज्य शासन व्दारा भारत शासन से प्राप्त होने वाली राशि से राज्य उपभोक्ता आयोग रायपुर हेतु भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है, जिस पर इस वर्ष रूपये 75.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4202

मद कमांक 2

राज्य शासन व्दारा शासकीय पॉलिटेक्नीक दुर्ग तथा रायगढ़ एवं कन्या पॉलिटेक्नीक रायपुर के भवन निर्माण का निर्णय लिया गया है । इस पर इस वर्ष 182.83 लाख का व्यय की संभावना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 1,82,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन के निर्णय के अनुसार राज्य के इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्नीक महाविद्यालयों के स्वशासी कोष में जमा राशि से शासकीय इंजी. महाविद्यालय रायपुर, बिलासपुर में भवन निर्माण तथा भवनों के उन्नयन करने का निर्णय लिया गया है, जिस पर रूपये 892.00 लाख व्यय की संभावना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 8,92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

राज्य शासन द्वारा साइंस कॉलेज रायपुर के मैदान में केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण का निर्णय लिया गया है जिसकी अनुमानित लागत 886.59 लाख है । स्पोर्टस काम्पलेक्स के निर्माण पर इस वर्ष रूपये 175.00 लाख के व्यय की संभावना है । इसमें रूपये 87.50 लाख भारत शासन द्वारा वहन किया जाएगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु 1,75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद कमांक 5

राज्य शासन व्दारा बिलासपुर में जिला अस्पताल भवन, नर्सिग प्रशिक्षण केन्द्र एवं नर्सेस होस्टल निर्माण (अनु.लागत रूपये 700.00 लाख) करने का निर्णय लिया गया है । जिस पर इस वर्ष रूपये 50.00 लाख व्यय होना संभावित है । यह एक नवीन मद है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मांग संख्या 75

मुख्य शीर्ष 4700

मद कमांक 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4701

मद कमांक 2

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक व्दारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है । अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षो को खोला जाना आवश्यक है । उक्त शीर्षो में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी । अतः नवीन शीर्षो हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 77

मुख्य शीर्ष 2225

मद कमांक 1

आईएफएडी सहायित छ.ग. आदिवासी विकास कार्यक्रम हेतु रूपये 200.00 लाख का आतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन के लिये रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 78

मुख्य शीर्ष 2851

मद कमांक 1

राज्य शासन के निर्णयानुसार टसर विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियॉ राशि रूपये 10.00 लाख व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4851

मद कमांक 2

राज्य शासन के निर्णयानुसार टसर विकास एवं विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत लद्यु निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 25.00 लाख की व्यय संभावित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान के आवश्यकता है ।

मांग संख्याा 79

मुख्य शीर्ष 2210

मद कमांक 1-4

डा. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के लिये बिजली एवं जल प्रभार, वर्दियां, पेट्रोल तेल एवं राशन व्यय मद में रूपये 49.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 49,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 5

डा. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल रायपुर के लिये दवाई मद में रूपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 6-9, 12-17

यात्रा भत्ता दौरे आदि के लिये विस्तृत शीर्ष खोलते हुये 10 योजनाओं के लिये रूपये 1000 का व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु रूपये 100 के मान से कुल रूपये 1000 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 10

भारत सरकार द्वारा 8 एलोपैथिक जिला चिकित्सालयों में आयुष विंग, 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्पेशलिटी आयुर्वेद क्लीनिक एवं 19 एलोपैथिक चिकित्सालयों के स्पेशलाइज्ड थैरेपी सेन्टर की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 8,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 11

भारत शासन के केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी एवं अनुसंधान केन्द्र हेतु रूपये 5.00 लाख उपलब्ध कराया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 18

भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के दो आयुर्वेद महाविद्यालयों श्री लब्धि विक्रमराज आरोग्य धाम संस्थान दुर्ग को एवं छदामीलाल चौकसे स्मृति होम्योपैथी कॉलेज, बिलासपुर को रूपये 3.55 लाख का अनुदान रिओरिएन्टेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,55,040 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 19

भारत सरकार द्वारा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों के विकास हेतु रायपुर होम्योपैथी चिकित्सा कॉलेज अस्पताल को रूपये 12.00 लाख का अनुदान स्वीकृत किया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 20-23

चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर हेतु वेतन भत्तों एवं फर्नीचर/उपकरण मद में रूपये 15.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 24

अशासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय के फीस निर्धारण हेतु गठित समिति के खर्चो के भुगतान हेतु रूपये 3.30 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 3,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 4210

मद कमांक 25

दन्त चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना हेतु रूपये 750.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 7,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 80
मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

सर्वशिक्षा अभियान के राज्यांश हेतु रूपये 925.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 3

राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार शिक्षाकर्मियों के वेतनमानों में संशोधन होने के फलस्वरूप वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रूपये 1767.38 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 17,67,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 4

पूर्व माध्यमिक शाला मानिकचौरी जिला रायपुर को हाई स्कूल में उन्नययन करने तथा ग्राम सुहेला (सिमगा) जिला रायपुर में हाई स्कूल प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है । शिक्षा कर्मियों के मानदेय के लिये रूपये 7.04 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से की जावेगी । पदो का विवरण निम्नानुसार है:-

क.	पदनाम	वेतनमान	पद संख्या	
			मानिकचौरी	सुहेला
1.	शिक्षा कर्मी वर्ग-2	3250-4450	07	07
2.	शिक्षा कर्मी वर्ग-3	2700-3700	01	01
		योग-	**08**	**08**

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2405

मद कमांक 5

राज्य शासन के निर्णयानुसार मत्स्य महासंघ के स्थापना व्यय हेतु राशि रूपये 20.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2515

मद कमांक 6

राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्षों को बदलाव योजना अंतर्गत वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है इस हेतु 16 वाहनों के कय पर रूपये 100.00 लाख के व्यय का अनुमान है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 7

राज्य शासन द्वारा ग्यारहवें वित्त आयोग की सहायता से बनने वाले 285 आंगनबाड़ियों के भवन निर्माण के शेष कार्य हेतु राज्यांश के रूप में रूपये 106.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,06,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 8

राज्य शासन द्वारा सचिवीय व्यवस्था के अंतर्गत पंचायत कर्मियों के वेतन हेतु रूपये 67.04 लाख का अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 67,04,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 81
मुख्य शीर्ष 3604

मद कमांक 1

राज्य शासन द्वारा राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के पूर्ति हेतु नगरीय निकायों को पात्रतानुसार अतिरिक्त अनुदान दिये जाने हेतु रूपये 548.00 लाख के अतिरक्त प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 5,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद कमांक 2

राज्य शासन द्वारा प्रवेश कर से प्राप्त आगम से शहरी स्थानीय निकायों को पात्रतानुसार अनुदान हेतु रूपये 4250.00 लाख के अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु रूपये 42,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मांग संख्या 82

मुख्य शीर्ष 2202

मद कमांक 1-2

राज्य शासन द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छात्रावास एवं आश्रम शालाओं में 643 विज्ञान शिक्षकों (शिक्षाकर्मी वर्ग-3) के पद निर्माण की स्वीकृति दी गई है । इस पर रूपये 233.33 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जावेगा ।

अतः इस प्रयोजन के लिये रूपये 200 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2236

मद कमांक 3-4

मध्यान्ह् भोजन कार्यक्रम हेतु राज्य शासन द्वारा अनुषांगिक व्यय की राशि 1 रूपये से बढ़ाकर 2 रूपये किए जाने के फलस्वरूप 1235.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 12,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।